## प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा |

060 - किशनगढ़बास विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री/कुमारी/सुश्री/श्रीमती दीपचन्द खैरिया (नाम)

ग्राम-जाटका, पोस्ट- माहोन्द, तहः - किशनगढ-बास (पता)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई हैं |

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थानः- किशनगढ़बास

दिनांक:- 03-12-2023

डॉ. धीरज कुमार सिंह रिटर्निंग ऑफिसर, किशनगढ़बास (060) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़बास

> रिटर्निग अधिकारी किशनगढ़ बास (060)

## FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the  $\bf 060$ -KISHANGARH BAS Assembly Constituency .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

## Shri/Ms/Miss/Smt DEEPCHAND KHAIRIYA (Name)

VILLAGE - JATAKA, POST- MAHOND, TEH. KISHANGARH-BAS (Address) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Kishangarh Bas

Dated:- 03-12-2023

Dr.Dheeraj Kumar Singh
Returning Officer, Kishangarh Bas (060)
Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate
Kishangarh Bas

रिटर्निंग अधिकारी किशनगढ बास (060)